विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 08 अप्रैल, 2024 / 19 चैत्र, 1946 (शक)

संख्या–144

<u>सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई</u>

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 27.03.2024 को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, संसद मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ हैः–

''मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य पाया है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री विशेष रवि को नई दिल्ली जिला के क्षेत्र में कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिया जाए।

तद्नुसार, 26.03.2024 को, अपराह्न 01.00 बजे, उन्हें संसद मार्ग थाना, नई दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली क्षेत्र से हिरासत में लिया गया और जाफरपुर कलाँ, दिल्ली पुलिस थाना ले जाया गया। उसी दिन अपराह्न 05.30 बजे उन्हें जाफरपुर कलाँ, दिल्ली पुलिस थाना से रिहा कर दिया गया''

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 08 April, 2024/19 Chaitra, 1946 (Shaka)

No. 144

<u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER</u>

Hon'ble Members are hereby informed that the following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 27.03.2024 from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, Sansad Marg, New Delhi-110001:-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Sh. Vishesh Ravi, Hon'ble Member of Legislative Assembly of Delhi be detained for maintaining law and order and public peace in the area of New Delhi District.

Accordingly, on 26.03.2024, at 01.00 PM, he was detained from the Patel Chowk Metro Station, New Delhi area of Police Station Parliament Street, New Delhi and was taken to Police Station Jaffarpur Kalan, Delhi. At 05.30 PM, on the same day, he was released from Police Station Jaffarpur Kalan, Delhi."

Raj Kumar
Secretary